संख्या- 9/2024-बी-1-944 /दस-2024

प्रेषक,

**आलोक दीक्षित**,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

**प्रमुख अभियन्ता,**
लोक निर्माण विभाग,
(बजट "क" वर्ग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 19 नवम्बर , 2024

**विषयः** लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटन ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनाँक 04 मई, 2022 एवं शासनादेश संख्या-21/2022/बी-1-695/दस-2022 दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्कस से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटित किये गये हैं ।

2. उक्त के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को "केवल वर्कस से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ.कोड संख्या-4906 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 9/2024-बी-1-944 (1)-दस-2024, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।
6. लोक निर्माण अनुभाग-10.
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8.
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ ।
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।